उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०ए० नं०-20/2020-21

जोगेन्द्र जायसवाल

बनाम्

संजय जायसवाल एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक	
27/07/	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्तमान रिविजन वाद की प्रक्रिया रिविजनकर्त्ता जोगेन्द्र जायसवाल, पे0—स्व0 हृदय नारायण जायसवाल, सा0—महागामा थाना—महागामा, जिला—गोड्डा के रिविजन आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। रिविजनकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के मुटेशन अपील वाद सं0—11/2017—18 (योगेन्द्र जायसवाल बनाम् झारखण्ड सरकार एवं संजय जायसवाल वगै0) के आदेश दिनांक 28.02.2020 के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने मुटेशन अपील वाद सं0—11/2017—18 आदेश दिनांक—28.02.2020 के द्वारा रिविजनकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया है। रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा महागामाा नं0—700 जमाबंदी सं0—141 दाग नं0—927 रकवा 00—19—17 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में महादेव चौधरी के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत महादेव चौधरी को दो पुत्र भागवत चौधरी एवं हृदय नारायण चौधरी हुए। अपीलकर्त्ता हृदय नारायण चौधरी के पुत्र है एवं उत्तरवादी संजय जायसवाल एवं अन्य भागवत चौधरी के वंशज है। उत्तरवादी स्वीकार करता है कि अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत के वंशज है। लेकिन उत्तरवादी के द्वारा मनगढ़त कहानी बनाये हुए है कि हृदय नारायण चौधरी को मौजा माल मंडरो में जमीन दिया गया है। इसलिए उत्तरवादी मौजा महागामा के सम्पूर्ण जमीन पर दावा कर रहें हैं। लेकिन सत्य यह है कि अपीलकर्त्ता मौजा महागामा के जमाबंदी सं0—141 के आधा जमीन पर दखलकार है। उत्तरवादी संजय जायसवाल द्वारा कहा गया कहानी गलत है। सत्य यह है कि जमाबंदी रैयत महादेव चौधरी ने मौजा माल मंडरो की जमीन को बिक्रीनामा दस्तावेज

सं0–36 दिनांक 09.07.1949 के द्वारा मेवालाल भगत को बेच दिया था। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी संजय जायसवाल एवं अन्य के द्वारा मौजा महागामा के नया जमाबंदी सं0–418 एवं पुराना जमाबंदी सं0–141 में धोखाघड़ी करके नया सर्वे में नाम दर्ज करा लिया था। उसके विरूद्ध में अपीलकर्त्ता की ओर से बंदोवस्ती पदाधिकारी के न्यायालय में एम0पी0 नं0–616/2012 दायर किया गया था, जिसमें अपीलकर्त्ता के पक्ष में दिनांक–14.06.2019 को आदेश पारित हुआ। उस आदेश के आधार पर सेटलमेंट खाता में अपीलकर्त्ता का नाम दर्ज किया गया। बंदोवस्त पदाधिकारी के न्यायालय में एम0 पी0 नं0–616/2012 लंबित रहने के दौरान उत्तरवादी संजय जायसवाल एवं अन्य ने अंचल अधिकारी, महागामा के मुटेशन केश नं0–15/2014–15 के माध्यम से उक्त जमीन का अपने नाम से नामांतरण कराकर अपना नाम दर्ज कराया। उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के न्यायालय में मुटेशन अपील न0–11/2017–18 दायर किया, जिसे बाद में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को हस्तान्तरित किया गया। उनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय एवं अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा इस तथ्य को अनदेखी किया गया कि मौजा माल मंडरो का जमीन जमाबंदी रैयत महादेव चौधरी ने केवाला दस्तावेज सं0–36 दिनांक–09.07.1949 के माध्यम से मेवालाल भगत को बेच दिया था और मौजा माल मंडरो में जमाबंदी रैयत महादेव चौधरी के पास कोई जमीन नहीं थी। साथ ही निम्न न्यायालय एवं अंचल अधिकारी, महागामा ने बंदोवस्त पदाधिकारी के न्यायालय में दायर एम0पी0 नं0–616/2012 का भी अनदेखी किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिविजन आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा महागामा जमाबंदी सं0–141 दाग नं0–927 रकवा 00–19–17 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में महादेव चौधरी के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत महादेव चौधरी अपने पीछे दो पुत्र भागवत प्र0 जायसवाल एवं हृदय नारायण जायसवाल को छोड़कर फौत कर गये। भागवत प्र0 जायसवाल अपने पीछे

चार पुत्र संजय जायसवाल उत्तरवादी सं0 1, मधुशंकर जायसवाल उत्तरवादी सं0 2, शंभुनाथ चौधरी उत्तरवादी सं0 3 एवं मधु कैलाश जायसवाल उत्तरवादी सं0 4 को छोड़कर फौत कर गये। शंभुनाथ चौधरी की भी मृत्यु अपने पत्नि नीतु जायसवाल को छोड़कर गयी है। जो उत्तरवादी सं0 3 है। उनका आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत महादेव चौधरी को रैयती मौजा मंडरो में भी है। जमाबंदी रैयत महादेव चौधरी ने अपने जीवन काल में दिनांक–09.03.1970 को मेमोरंडम ऑफ पार्टीशन के द्वारा अपने दोनों पुत्रों को मौजा महागामा एवं मौजा मंडरो का जमीन का बँटवारा कर दिया था। उस बँटवारा के अनुसार जमाबंदी रैयत के पुत्र भागवत प्र0 जायसवाल को मौजा महागामा का जमीन एवं हृदय नारायण जायसवाल को मौजा मंडरो का जमीन प्राप्त हुआ और उसी बँटवारा के अनुसार दोनों पक्ष अपने–अपने जमीन पर दखलकार है। हृदय नारायण जायसवाल ने मौजा मंडरो का जमीन बेच दिया एवं गॉव छोड़कर रामपुरहाट बंगाल में बस गये। इसलिए कानून के अनुसार भागवत प्र0 जायसवाल के मौजा महागामा के जमीन पर हृदय नारायण जायसवाल एवं उनके वंशज का कोई दावा नहीं बनता है। उक्त जमीन पर भागवत प्र0 जायसवाल अपने जीवन काल तक शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार रहे एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार है एवं लगान का भुगतान कर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। इसलिए उत्तरवादीगण के नाम से अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा किया गया नामांतरण नियम संगत है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा अपने आदेश में ठोस कारण दर्शाते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेखबद्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा महागामा नं0–700 जमाबंदी सं0–141 दाग नं0–927 रकवा 00–19–17 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में महादेव चौधरी वल्द दुरगाराम चौधरी के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता ने गत जमाबंदी रैयत के पुत्र हृदय नारायण जायसवाल के पुत्र के आधार पर दावा किया है एवं अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी की जमीन पर

आधा हिस्सा का दावा किया गया है एवं अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा की गयी नामांतरण को गलत बताया गया है। मुटेशन का आधार अदास्त बताया गया है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त अदास्त दस्तावेज में केवल उत्तरवादी एवं उनके पिता का ही उक्त विवादित जमीन पर आपसी समझोता के तहत अदास्त किया गया है। इसके समर्थन में उत्तरवादी के द्वारा यह बताया गया कि अपीलकर्त्ता के पिता–हृदय नारायण जायसवाल को अलग मौजा–माल मंडरो में जमीन पहले ही दी जा चुकी थी। इसलिए अदास्त में उनको कोई हिस्सा नहीं दिया गया। उक्त कथन का विरोध करते हुए अपीलकर्त्ता साक्ष्य के रूप में बिक्रीनामा प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि जमाबंदी रैयत महादेव चौधरी के द्वारा मौजा–माल मंडरो की जमीन को बिक्री कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का दावा सही प्रतीत होता है एवं यह भी स्पष्ट है कि दोनों पक्ष गत जमाबंदी रैयत के वंशज है। इस तथ्य को दोनों ही पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिती में दोनों ही पक्ष का उक्त जमाबंदी की जमीन पर स्वत्व निहित है और स्वत्व निर्धारण इस स्तर पर किया जाना नियम संगत प्रतीत नहीं होता है और जब तक स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है, तबतक किसी एक के पक्ष में निर्णय देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के मुटेशन अपील वाद सं0–11/2017–18 आदेश दिनांक–28.02.2020 एवं अंचल अधिकारी महागामा के दाखिल खारिज वाद सं0–15/2014–15 आदेश दिनांक– 20.09.2014 को निरस्त किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

22/10/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

24/10/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:15:42 +05:30
Location: 192.168.29.8